अत्यन्त महत्वपूर्ण

संख्या- 454/90-सं0शि0प0का0/17-4(सं0शि0)/17

प्रेषक,

सुरेश कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3-पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग लखनऊःदिनांक 19 सितम्बर,2017

विषयः- उ0प्र0 विधान परिषद के सदस्यों को जिला स्तरीय समितियों और निकायों, जिनमें वह पदेन या नामित सदस्य हैं, की बैठकों में आमंत्रित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों तथा संसदीय कार्य अनुभाग-2 के अन्तिम अनुस्मरण पत्र संख्या-1211/90-सं-2016-04स (ज)/90 टी0सी0, दिनांक 14 दिसम्बर,2016 द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि जिला स्तर की किसी समिति या निकाय जिसमें जिले या क्षेत्र के सभी विधायक अथवा विधान मण्डल के सदस्य किन्हीं आदेशों या विधिक उपबन्धों के अधीन नामित हों या पदेन सदस्य हों, की बैठकों में विधान परिषद के सदस्यों को भी आमन्त्रित किया जाय, उनके प्रति समान बर्ताव और शिष्टाचार प्रदर्शित किया जाय एवं उनके सुझावों को गम्भीरता से लिया जाय। पूर्व में शासन के संज्ञान में आया है कि उक्त बैठकों में विधान परिषद के सदस्यों को आमंत्रित नहीं किया जाता है और इस प्रसंग में उनमें तथा विधान सभा सदस्यों में भेदभाव किया जाता है।

2- चूंकि विधायकों अथवा विधान मण्डल के सदस्यों के अन्तर्गत विधान सभा/ विधान परिषद दोनों के सदस्य आते हैं। अतः विभिन्न समितियों अथवा निकायों जिसमें विधायक अथवा विधान मण्डल के सदस्य सम्मिलित किये गये हैं, उनमें केवल विधान सभा के सदस्य ही नहीं आते बल्कि विधान परिषद के सदस्य भी सम्मिलित किये गये हैं, जब तक की ऐसी समिति या निकाय के गठन में केवल विधान सभा के सदस्यों को ही शामिल किये जाने का स्पष्ट उपबन्ध न किया गया हो। अतः ऐसी किसी समिति या निकाय में जिसमें जिले या क्षेत्र के सभी विधायक अथवा विधान मण्डल के सदस्य नामित किये गये हों अथवा पदेन सदस्य हो उनमें विधान परिषद के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाना आवश्यक है और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव अवांछनीय है।

3- **अतः मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भविष्य में यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि ऐसी किसी समिति या निकाय जिसमें जिले या क्षेत्र के सभी विधायक अथवा**

विधान मण्डल के सदस्य शासन के किन्ही आदेशों या विधिक उपबन्धों के अधीन नामित हों या पदेन सदस्य हों, की बैठक में विधान परिषद के सदस्यों को भी आमन्त्रित किया जाय और उनके प्रति समुचित शिष्टाचार बरतते हुए उनके साथ कोई भेदभाव न किया जाय ताकि भविष्य में इस प्रकार की किसी शिकायत का अवसर न आने पायें।

कृपया इन आदेशों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के संज्ञान में लाने तथा तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करें।

भवदीय,

(सुरेश कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 454(1)/90-सं0शि0प0का0/17-4(सं0शि0)/17 तद्दिनांक

1- प्रतिलिपि समस्त अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपयुक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अपने प्रशासकीय नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों एवं अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

2- प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, विधान परिषद को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(कौशलेन्द्र यादव)
विशेष सचिव।